A/(13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी हरीराम अहीरवाल आर.ए.एस.

अपील सं. 4/12

श्रीमती मिसरी [illegible] पत्नी श्री गोपाल प्रसाद जाति बैरवा निवासी कस्बा नगर तहसील नगर ... अपीलार्थी

बनाम

राजेश कुमार पुत्र नन्दी राम जाति बैरवा निवासी कस्बा नगर तह. नगर ... रेस्पोण्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act
विरुद्ध नामा. नं. 487 ग्राम जनूथर

उपस्थित

1. श्री अनिल कुमार [illegible] अभिभाषक अपी.

निर्णय दिनांक: 7.2.2014

अपीलार्थी ने यह अपील नामान्तरण नं. 487 बाबत ग्राम जनूथर निर्णय दिनांक 5.11.06 द्वारा ग्राम पंचायत [illegible] से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि खसरा नं. 338/865 वाके ग्राम जनूथर तह. नगर दर्ज है रेस्पो. नं. 1 राजेश कुमार के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी, लेकिन उसने अपीलार्थी को यह भूमि मौके पर कब्जा दे दिया। इस प्रकार अपीलार्थी [illegible] उक्त आराजी पर अपीलार्थी [illegible] काश्त [illegible] कर रही है। [illegible] नामा. नं. 487 दर्ज कर दिया गया, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5-11-06 को स्वीकृत कर दिया गया [illegible] आराजी दिनांक 5-11-06 [illegible] न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है जो निरस्त किये जाने [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] के [illegible] नहीं किया है। [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई का कोई [illegible] के [illegible] पंचायत के [illegible] के आधार पर [illegible] है [illegible] तो किसी प्रकार [illegible] सम्बन्ध किसी विवाद का नहीं है। ग्राम पंचायत [illegible] को निरस्त [illegible] पंचायत को नामान्तरकरण का निर्णय नहीं करना चाहिए था, [illegible]

— 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

A/ (14)

बल्कि उक्त नामान्तरकरण निर्णय करने हेतु सक्षम राजस्व-अधिकारी को हस्तांतरित कर देना चाहिए था क्योंकि ग्राम पंचायत को विवादास्पद नामान्तरकरण निर्णीत करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने राज० लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 118, 119, 120, 121, 122 व 125 का कतई पालन नहीं किया है, तथा मौके पर कब्जे की जांच नहीं की गई है, इसलिए ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 5-11-06 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत पेडका की आज्ञा दिनांक 5-11-06 निरस्त फरमाई जाकर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजि० किया जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं मूल नामांतरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 31.7.13 को उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल नामा० सं० 158 वाके ग्राम जगड़का के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वि० वाके ग्राम जगड़का विक्रेता ईश्वर पुत्र हंसा आ० ख०नं. 238/0.65 वाके ग्राम जगड़का विक्रेता ईश्वर पुत्र हंसा कौम मेव की बजाय बयनामा दि० 28.5.87 के आधार पर क्रेता राजेश कुमार वल्द लक्ष्मी राम कौम वैश्य सा० कस्बा नगर के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। विवादित नामा० सं० 487 विक्रय पत्र दिनांक 25-9-06 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिस पर जांच अधिकारी ग्रा० अधि० निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि - "मौका व रिकार्ड का मिलान किया गया अंकन सही है।" इसके पश्चात उक्त नामान्तरकरण निर्णय हेतु दिनांक 20-10-06 को प्रथम बार सरपंच ग्राम पंचायत पेडका के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको सरपंच द्वारा बिना [illegible] अंकित किये दिनांक 05-11-06 को प्रस्तुत करने [illegible] पटवारी हल्का को दिये गये। पटवा[illegible] निर्णय हेतु पुनः दिनांक 5.11-06 को [illegible] प्रस्तुत किया, जिसको निर्णीत करते हुए सरपंच [illegible] अंकित किया है कि - "आज दिनांक 5-11-06 को प्रस्ताव सं. 1 एक के द्वारा श्री राजेश कुमार s/o श्री लक्ष्मीराम वैश्य के बेचान आ० ख०नं. 238/0.65

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

A/(16)

के सम्बन्ध में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ग्राम पंचायत पैंडका ने विवादित नामा० सं० 487 का निर्णय अवैधानिक रूप से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया है जो काबिल निरस्त है। अतः आदेश है कि —

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पैंडका की आज्ञा दिनांक 05-11-06 निरस्त की जाकर प्रकरण तहसीलदार नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामा० सं० 487 वाले ग्राम जगाडका का पुनः सुनवाई करते हुए नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामा० सं० 487 तहसीलदार नगर को भेजा जावे।

(हस्ताक्षर)
(हरिराम आर्दिव्य)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

निर्णय आज दिनांक 07-2-2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(हरिराम आर्दिव्य)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner